डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री हेमराज गुर्जर,आर.ए.एस
अतरसिंह बनाम राज0 सरकार वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 192 / 2012

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दई व .... डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि वादीगण की खातेदारी की आराजी साविक खसरा नम्बर 528 रकवा 4 बीघा 15 बिस्वा जिसका गत खसरा नं. 617 रकवा 0.77 हैक्ट. वाके ग्राम हन्तरा में स्थित है, पर हाल नक्शा में ख0न0 617 के पूर्वी सीमा की कमी पूर्ति, पूर्वीमैड़ सीमा स्थित ख0न0 606 व 607 से की जावें। इस हेतु ख0न0 607 व 606 की नाप कर बढे हुऐ हिस्से के रकवे से पूर्ति की जावें। तदानुसार नक्शा दुरूस्त किया जावें।

बेज मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसूद व शरह ———————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

दसखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.01.2021 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— [signature] सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:08:23 IST
Reason: SelfAttested

1.अतरसिंह आयु 62 वर्ष पिस. मूलसिंह निवासी हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।

2. भीमसिंह आयु 65 वर्ष पिस. मूलसिंह निवासी हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर साहब भरतपुर।
3. छीतरसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति जाट निवासी हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रतनसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति जाट निवासी हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Original

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:08:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 192 / 2012
किस्म दावा 88,89 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 22.01.2021

1 अतरसिंह आयु 62 वर्ष पिस. मूलसिंह निवासी हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।
2. भीमसिंह आयु 65 वर्ष पिस. मूलसिंह निवासी हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)।

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर साहब भरतपुर।
3. छीतरसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति जाट निवासी हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रतनसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति जाट निवासी हन्तरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित (1) अधिवक्ता श्री भगवानसिंह फौजदार(वादीगण की ओर से)

(2) पैराकार सरकार तहसीलदार नदबई

दावा इस्तकरार हक बावत् किये जाने दुरूस्ती नक्शा में

अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

निर्णय

1. यह कि उपरोक्त उनवान के दावा में कोई भी पक्षकारान नावलिग एवं फातरूल अक्ल नहीं है। सभी दावा लड़ने में सक्षमहै। तथा दावा राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया जा रहा है। तथा दावा राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया जा रहा है। लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का है। इसलिए दावा के साथ प्रार्थना पत्र धारा 80(2) सी.पी.सी. का पेश किया जा रहा है।
2. यह कि वादीगण की खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 528 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा जिसका गत खसरा नं. 617 रकवा 0.77 है। वादी [illegible] खसरा में स्थित है उक्त खसरा नम्बर की पूर्वी व पश्चिमी मैड साबिक नापसे 22-22 गट्ठा [illegible] दोनों मैड नाप के मुताबिक सही थी किन्तु गत सं. 2028 के सैटिलमैंट में नक्शा [illegible] की चौडाई 21 गट्ठा कर दी गई जो गलत है। तथा सं. 2060 के सैटिलमैंट में नक्शा [illegible] चौड़ाई 20 गट्ठा कर दी गई है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:08:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

साबिक नाप से काबिल दुरूस्ती है जबकि उक्त पूर्वी मैंड वर्तमान में मौके पर 18 गट्ठा ही बैठती है जबकि उक्त मैंड 22 गट्ठा की होनी चाहिए तथा इसी मुताबिक वादीगण खसरा नम्बर 607 से लगी हुई मैंड को नक्शा में दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है।

3. यह कि वादीगण के उक्त रकवा की मैंड राजस्व रिकार्ड व नक्शा में कम होने से वादीगण के अधिकारों पर जवाल आने का आदेश है। नक्शा में गलत सीमता दर्ज कर देने से वादीगण के रकवा की नाम भी कम हो गई है। व पैमाईश करने पर रकवा कम बैठता है। ऐसी सूरत में वादीगण जरिये डिक्री अदालत उक्त मैंड को सही करा कर 18 गट्ठा के स्थान पर वर्तमान नाप से 22 गट्ठा के बराबर नाप की दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

4. यह कि कादावा में वर्णित आराजी मुतनाजा व पक्षकरान मुकदमा न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रीमान जी को वाद श्रवण के अधिकारी बखुबी हॉसिल है।

5. यह कोर्ट फीस व तलवाना नियमानुसार चस्पा है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि दावा वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(अ)यह कि वादीगण जरिये डिक्री अदालत आराजी मुत. वर्णित मद नं. 2 की पूर्वी मैंड की चौडाई 22 गट्ठा हाल नक्शा वर्तमान नाम के अनुसार दुरूस्त करने की घोषणा की जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये तथा जबाब दावा पेश किया गया, प्रतिवादी स. 1 व 2 की और से पैराकार सरकार द्वारा जबाब दावा पेश किया गया तथा अपने जबाब दावा में निम्नांकित तथ्यो का वर्णन किया गया। जो इस प्रकार हैः—

1. यह कि मद सं. 1 स्वीकार नही है। मामला अर्जेन्ट नेचर [illegible] है। इसलिए धारा 80 जब्ता दीवानी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। नो[illegible] दावा वादीगण काबिल खरिजी के है।
2. यह कि मद सं. 2 जिस प्रकार वर्णित की गई है। स्वीकार नही है। आराजी विवादित का क्षेत्रफल रिकार्ड के अनुसार सही है। नक्शा में दरुस्ती [illegible] का कोई अधिकार वादीगण में नही है। क्योंकि बन्दोबस्त विभाग मौके पर ही आराजी को नापकर नक्शा तैयार करते है। मौके के विपरीत नक्शा नही बनाते है। [illegible] कारण दावा वादीगण चलने योग्य नही है। यह कि मद सं. 3 वाद पत्र जिस प्रकार वर्णित की गई है। स्वीकार नही है। वादीगण का रकवा मौके के अनुसार सही है। व 18 गट्ठा के स्थान पर 22 गट्ठा भूमि मौके पर नही की जा सकती है। तथा दूसरे खातेदार को भी पक्षकार नही गया है। जिसमें रकवे में बढाया गया है। इस कारण दावा वादीगण काबिल खारिजी के है। यह कि मद सं. 4 कानूनी है।
3. यह कि मद सं. 4 कानूनी है।
4. यह कि मद सं. 5 कानूनी है। व काबिल गौर अदालत है।

प्रार्थना पत्र वादीगण स्वीकार नहीं है। व दावा वादीगण काबिल खारिजी है।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:08:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना है। कि जबाब दावा जिन वादी व प्रति सं. 1 व 2 स्वीकार किया जाकर दावा वादी मय खर्चा खारिजी फरमाया जावे।

वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जबाब के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी। जो निम्नानुसार है :—

1. आया वादीगण विवादित आराजी कौ दौरान बन्दोबस्त की गई पैमाइस को साबिक रिकार्ड की रोशनी में देरूस्त करा पाने का अधिकारी है। — जिम्मेवादीगण
2. आया विवादित आराजी का क्षेत्रफल रिकॉर्ड के अनुसार सही है। बन्दोबस्त विभाग को नापकर नक्शा तैयार कराने का अधिकार प्राप्त हो। :— जिम्मे प्रतिवादी
3. आयावाद वादीगण आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार न बनाने की वजह से काबिल खारिजी के है। :—जिम्मे प्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संवत 2067—70 वाके ग्राम हन्तरा प्रदर्श —1, नकल मिलान क्षेत्रफल संबत 2028 वाके ग्राम हन्तरा प्रदर्श—2, नकल सत्य प्रतिलिपि भू प्रबंधक विभाग मिलान क्षेत्रफल दिनांक 01.09.01 से 31.08.2021 तक हन्तरा प्रदर्श—3, नकल नक्शा ट्रेस पैमाना सन 1997—98 प्रदर्श — 5 ,नकल नक्शा वाके ग्राम हन्तरा प्रदर्श 6 , तथा मौखिक बयान के रूप में शपथपत्र वादी अतरसिंह पुत्र मूलासिंह जाति जाट निवासी हन्तारो पेश किये गये। इनसे जिरह प्रतिवादी पैराकार सरकार द्वारा की गई।

प्रतिवादी की ओर से अपने जबाब के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस को सुना गया, व मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौखिक बयानो का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार इस प्रकार है।

1. आया वादीगण विवादित आराजी कौ दौरान बन्दोबस्त की गई पैमाइस को साबिक रिकार्ड की रोशनी में देरूस्त करा पाने का अधिकारी है। :— उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। वादी द्वारा जमाबंदी संबत 2067—70 वाके ग्राम हन्तरा प्रदर्श —1 पेश कि गई जिसमें विवादित आराजी ख0न0 617 पर वादी खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा खसरा नम्बर 607 रकवा 0.36 हैक्ट. पर राज0 सरकार की खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा ख.न. 617 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 से साबिक ख0न0 606 रकवा 3 बीघा 1 बिस्वा से बना है। तथा ख0न0 607 साबिक खसरा नम्बर 587 रकवा ... बिस्वा से बना है। तथा साबिक खसरा नं. 605 रकवा 3 बीघा 1 बिस्वा से मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 से साबिक खसरा नं. 528 रकवा 4 बीघा 15 बिस्वा से बना है। मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीदार नदबई में खसरा नं. 617 रकवा 0.77 की पैमाईश की गई। जिसकी खसरा नं. 617 की चौडाई उत्तरी पूर्वी 36.5 मी. बैठती है। जो मुताबिक नक्शा हाल 40 मी. है। तथा साथ ही खसरा नं. 617 रकवा 0.77

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:08:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

की चौड़ाई द. पूर्वी मेड जो रास्ते से लगी हुई है। जोकि मौके पर 40.5 मी. बैठती है। जबकि नक्शे के मुताबिक 46 मी. होनी चाहिए इसप्रकार खसरा नं. 617 के हाल नक्शे में मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 6.11.2020 से खसरा नं. 617 रकबा 0.17 हाल नक्शे की दुरूस्ती चौड़ाई में 3.5 मी. तथा लम्बाई 5.5 मी. काबिल दुरूस्ती के है। तथा जो इसके चिपटेमा खसरा नं. 606, 607 में दुरूस्त की जानी उचित है। तथा वादी के मौखिक ब्यान वादी अतरसिंह पुत्र मूलसिंह द्वारा पेश किए गए है। जिससे वाद की नक्शा दुरूस्त की पुष्टि भी की गई। इसके विरोध में प्रति वादी द्वारा किसी भी प्रकार के मौकिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किए गए। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में व प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

2. आया विवादित आराजी का क्षेत्रफल रिकॉर्ड के अनुसार सही है। बन्दोबस्त विभाग को नापकर नक्शा तैयार कराने का अधिकार प्राप्त हो। :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तहसीलदार नदबई की पैमाइश रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी का हाल खसरा नं. 617 रकबा 0.17 की पैमाइश करने पर उत्तरी पूर्वी मेड 36.05 मी. बैठती है। जबकि नक्शा के मुताबिक 40 मी. होनी चाहिए। इसप्रकार द. पूर्वी मेड जो रास्ते से लगी हुई है। जिसपर खसरा नं. 606, 607 है। पर 40.5 मी. बैठती है। तथा नक्शे के मुताबिक 46 मी. होनी चाहिए। इसलिए खसरा नं. 617 के हाल नक्शा में उक्त रकबा की पूर्ति के मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार नदबई दिनांक 6.11.2020 के अनुसार वादी दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

3. आया वाद वादीगण आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार न बनाने की वजह से काबिल खारिजी के है। :- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को था वादी ने राजस्थान सरकार व [illegible] तहसीलदार नदबई को मुकदमा पक्षकार जिला कलक्टर भरतपुर तथा राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई को मुकदमा पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा अन्य पक्षकार को भी मुकदमा पक्षकार बनाया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय कि जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र डिक्री किया जाना उचित है। अतः आदेश है कि वादीगण की खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नम्बर [illegible] रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा जिसका हाल खसरा नं. 617 रकबा 0.77 हैक्टे. [illegible] स्थित है, पर हाल नक्शा में ख0नं0 617 के पूर्वी सीमा की कमी पूर्ति, पूर्वी सीमा स्थित ख0नं0 606 व 607 से की जावे। इस हेतु ख0नं0 607 व 606 की नाप कर बढ़ हुई [illegible] के रकबे से पूर्ति की जावे। तदानुसार नक्शा दुरूस्त किया जावे।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नियमानुसार [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:08:23 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज [illegible] R.A.S.)
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर
22/01/2021

Web Copy - Not Official